



मुख्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
HEADQUARTERS OFFICE,
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी., मार्ग, नई दिल्ली - 110002
PANCHDEEP BHAWAN C.I.G MARG, NEW DELHI - 110002
Phone: 1800-11-2526 Email: esic-hqrs@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in/www.esic.in |

File No. N-11/15/01/2021-Bft-II

दिनांक 17.08.2023

To

All Regional Directors/Directors/Joint Directors
Regional Office
E.S.I. Corporation,

Sub:- Amendment in rule 55 (1) & 56 (1) of ESI (Central) Rules,1950 to relax the eligibility conditions for sickness benefit and maternity benefit for the benefit period 01.01.2021 to 30.06.2021.

Sir/Madam,

I am directed to forward the copy of final Gazette Notification dated 25.07.2023 regarding amendment in Rule 55(1) & 56(1) of ESI (Central) Rules, 1950 for relaxing contributory conditions in the contribution period from 01.04.2020 to 30.09.2020. In the year 2020, there was a nationwide lockdown due to the COVID-19 pandemic and large number of ESI covered units were not functional usually resulting into less number of available working days for several employees. Due to availability of less number of contributions of many IPs/IWs, were faced hardship for getting maternity benefit/sickness benefit.

For the welfare of IPs/IWs who faced difficulty in availing ESIC Benefits due to lack minimum requirement of 78 days contribution, an agenda was placed in the 184th meeting of ESI Corporation for amending Rule 55 & 56 of ESI (Central) Rules for relaxing contributory conditions in order to provide sickness benefit to IPs and IWs who do not fulfil the required eligibility condition for Sickness Benefit and Maternity benefit is benefit period January-June 2021. The Corporation had approved the said proposal, accordingly the Govt. of India has notified the amendment in Rule 55(1) & 56(1) on 25.07.2023.

In view of the above amendment all Regional Offices/Sub-Regional Offices are requested to scrutiny all such claims received from IPs/IWs for the respective benefit period from 01.01.2021 to 30.06.2021 and to settle the same expeditiously. A report of such settled cases may be provided to Hqrs office for information.

This amendment shall be effective for the benefit period 01.01.2021 to 30.06.2021 only.

This issues with the approval of Insurance Commissioner (Benefit).

Encl. As above

Yours faithfully,


Sunil Yadav
Dy. Director (Bft.)

Copy to:

1. ICT Division, Hqrs Office for required changes in the ERP module.
2. Web Content Manager for uploading in ESIC Website.


Dy. Director (Bft.)


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247591
CG-DL-E-25072023-247591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]
No. 430]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 536(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारूप, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 152 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 24 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) इन्हें तारीख 1 जनवरी, 2021 को लागू माना जाएगा और तारीख 30 जून, 2021 तक छह महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम 1950 में, -

(क) नियम 55 के, उप-नियम (1) के, तीसरे परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह भी कि तारीख 01.04.2020 से पहले नियुक्त कोई व्यक्ति, तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की अवधि के लिए बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हित होगा, यदि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अंशदान, तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि में उन्तालीस दिनों से कम या 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अंशदान अवधि में अठहत्तर दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था और उस व्यक्ति के लिए बीमारी हितलाभ की दैनिक दर उप-नियम (2) में प्रदान की जाएगी, जिसकी संगणना यथास्थापित तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 की अंशदान अवधि या तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 तक की अंशदान अवधि के दौरान लागू मानक हितलाभ दर के आधार पर होगी";

(ख) नियम 56 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया, अर्थात्: -

" परन्तु कि कोई बीमाकृत महिला तारीख 1 जनवरी 2021 से तारीख 30 जून 2021 की हितलाभ अवधि में होने वाले या होने के लिए आशयित प्रसव के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने हेतु पात्र होगी, यदि ऐसी महिला संबंध में अंशदान, तुरंत पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों, अर्थात्, तारीख 1 अक्टूबर 2019 से तारीख 31 मार्च 2020 और तारीख 1 अप्रैल 2020 से तारीख 30 सितंबर 2020 के ठीक पूर्ववर्ती अवधि में पैंतीस दिनों से कम के लिए संदेय नहीं था।"

[फा.सं. एस-65012/02/2021-एसएस-1]

अलोक चंद्र, ज्येष्ठ श्रम और रोज़गार सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212, तारीख 22 जून, 1950, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2023

G.S.R. 536(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 152(E), dated the 24th February, 2022, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty day from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24th February, 2022;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above for consideration by the Central Government;